







संपादकीय

## गेहूं जमाखोरी पर नियंत्रण

**एक** खबर आई थी कि सरकारी गोदामों में गेहूं का भंडारण कम हो गया है संभव है कि गेहूं का आयात करना पड़े। दूसरी तरफ, केंद्रीय कृषि मंत्रालय के डाटा पर यकीन करें, तो उसका कहना है कि किसानों ने 112.93 मिलियन टन गेहूं का उत्पादन किया है। फसल की यह सबसे अधिक पैदावार है बीते साल भी गेहूं 110.55 एमटी पैदा किया गया था। यानी उस उत्पादन को भी पांच करके इस बार रिकॉर्ड गेहूं की फसल हुई है। यह अजीब विरोधाभास है। यदि गेहूं का उत्पादन सबसे अधिक हुआ है, तो सरकारी गोदामों में भंडारण कम क्यों है? क्या सरकार ने कम गेहूं खरीदा है? भारत सरकार ने गेहूं के भंडारण की अधिकतम सीमा पर रखा है।

सरकारी गोदामों में गेहूं का भंडारण कम हो गया है। संभव है कि गेहूं का आयात करना पड़े? दूसरी तरफ, केंद्रीय कृषि मंत्रालय के डाटा पर यकीन करें, तो उसका कहना है कि किसानों ने 112.93 मिलियन टन गेहूं का उत्पादन किया है। फसल की यह सबसे अधिक पैदावार है। बीते साल भी गेहूं 110.55 एमटी पैदा किया गया था। यानी उस उत्पादन को भी पार करके इस बार रिकॉर्ड गेहूं की फसल हुई है। यह अजीब विरोधाभास है। यदि गेहूं का उत्पादन सबसे अधिक हुआ है, तो सरकारी गोदामों में भंडारण कम क्यों है? क्या सरकार ने कम गेहूं खीदा है? भारत सरकार ने गेहूं के भंडारण की अधिकतम सीमा क्यों तय की है? क्या इससे जमाखोरी पर नियंत्रण लगाया जा सकेगा? अथवा कीमतों में स्थिरता आएगी? या खाद्य सुरक्षा के सकल प्रबंधन के मद्देनजर ऐसा किया गया है? भंडारण सीमा का यह निर्णय अकथनीय और दुरुह लगता है। सरकार ने फैसला किया है कि थोक के व्यापारी और खुदरा की बड़ी शृंखला वाले 3000 टन से अधिक का भंडारण नहीं कर सकेंगे। एकल खुदरा विक्रेता के लिए यह सीमा 10 टन तय की गई है। प्रोसेसर पिसाई की अपनी क्षमता का 70 फीसदी रहने के लिए गेहूं या अनाज जमा रख सकते हैं। इन सभी व्यापारियों और कंपनियों को गेहूं भंडारण की अपडेट जानकारी खाद्य एवं सार्वजनिक वितरण विभाग के पोर्टल पर नियमित रूप से देनी होगी। सबल यह है कि नियंत्रण सिफेर गेहूं के लिए है अथवा सभी अनाजों पर यह लागू होगा? भंडारण की यह अधिकतम सीमा 24 जून, 2024 से 31 मार्च, 2025 तक जारी रहेगी। गेहूं और अनाज की भंडारण सीमा, अंततः, क्यों तय करनी पड़ी? इसके बुनियादी कारण हैं कि खुदरा अनाज की मुद्रास्फीकीति मई में, साल-दर-साल, 8.69 फीसदी रहने वाली है। दूसरे, सरकारी गोदामों में गेहूं का भंडारण एक जून को 29.91 मिलियन टन था। यह बीते 16 सालों में सबसे कम था सर्वाधिक उत्पादन होने के बावजूद। भंडारण इतना कम क्यों हुआ? तीसरे, अभी तक बहुत अच्छा मानसून नहीं हुआ है। यह चावल के उत्पादन को भी प्रभावित कर सकता है। हालांकि चावल के सरकारी भंडारण पर्याप्त है। क्या खाद्य सुरक्षा पर किसी संकट के आसार हैं? गेहूं उत्पादन में तो भारत विश्व में नंबर दो का देश है हम कई देशों को गेहूं नियांत करते हैं। फिर गेहूं भंडारण की कमी और भंडारण सीमा का नियंत्रण समझ के परे है। गेहूं की भंडारण सीमा बीते साल जून में ही पहली बार लागू की गई थी। तब थोक विक्रेताओं

और बड़े खुदरा व्यापारियों के लिए अधिकतम भंडारण की सीमा 2000 टन थी निजी, एकल स्टोर के लिए 10 टन ही थी और प्रोसेसर के लिए प्रिसाई क्षमता का 75 फीसदी जमा की अनुमति थी। ये सीमा बाद में घटा कर 500 टन, 5 टन और 60 फीसदी कर दी गई। कारण आज तक अज्ञात हैं, क्योंकि बीते साल भी गेहूं का उत्पादन अच्छा दुआ था। जो सीमा घटाई गई, वह फरवरी, 2024 तक थी, लेकिन एक अप्रैल को नई फसल, नई पैदावार आने से भंडारण सीमा फिर बढ़ा दी गई। निजी व्यापारियों को बता दिया गया कि वे किसानों द्वारा लाया गया गेहूं न खरीदें। कमोबेश एक महीने तक खरीदारी न करें। यह इसलिए किया गया, ताकि सरकार अपने भंडारण को मजबूत कर सके। बहरहाल अब फसल की मार्केटिंग का मौसम ऊंचाई चुका है और सरकार ने भंडारण की अधिकतम सीमाएं भी तथ्य कर दी हैं, लिहाज सवाल है कि भंडारण के नियंत्रण कैसे तथ्य किए जाएंगे? गैर-बासमती चावल और गेहूं के निर्यात पर जो पार्बद्धियाँ हैं, रोक हैं, उन पर कैसे निगाह रखी जा सकेंगी? यह भी तथ्य है कि अनाज की पैदावार रिकॉर्ड हो रही है। मोदी सरकार एक नियंत्रण के कृषि मंत्रालय के जरिए और दूसरों को उपभोक्ता मामलों, खाद्य एवं सार्वजनिक वितरण के मंत्रालयों के माध्यम से क्रियान्वित नहीं कर सकती।

**कुछ अलग**

# भ्रष्टाचार के पुल

## बरसात

आने से पहले ही बिहार में एक सप्ताह के भीतर एक के बाद एक तीन पुलों का गिरना सार्वजनिक निर्माण में व्याप्त भ्रष्टाचार व धांधलियों को बेनकाब करता है। लगातार धड़ाधड़ गिरते पुल न केवल ठेकदारों बल्कि उन्हें संरक्षण देने वाले राजनेताओं पर भी सवालिया निशान लगाते हैं। एक सप्ताह के भीतर बिहार के मोतिहारी में रविवार को एक पुल गिरने की तीसरी घटना हुई। इससे पहले अररिया और सिवान में भ्रष्टाचार के पुल गिरे थे। पूर्वी चंपारण के मोतिहारी में डेढ़ करोड़ की लागत से बनने वाला जो पुल गिरा, उसकी एक दिन पहले ही ढलाई हुई थी। रात में पुल भरभरा कर गिर गया। यदि यह पुल यातायात ख़ोलने के बाद गिरता तो न जाने कितनी जानें चली जातीं। आरोप है कि घटिया सामग्री के कारण पुल बनने से पहले गिर गया। शनिवार का सिवान में गंडक नहर पर बना तीस फीट लंबा पुल गिर गया, जो चार दशक पहले बना था। इसी तरह मंगलवार को अररिया में बारह करोड़ की लागत से बना पुल गिर गया था। पुल के तीन पाये ध्वस्त हो गए थे। बिहार में निर्माण कार्यों में धांधलियों का आलम यह है कि पिछले पांच सालों के दौरान दस पुल निर्माण के दौरान या निर्माण कार्य पूरा होते ही ध्वस्त हो गए। उल्लेखनीय है कि बीते साल जून में भागलपुर में गंगा नदी पर करीब पैने दो हजार करोड़ की लागत से बन रहे पुल के गिरने पर भारी शोर मचा था। लैंकिन उसके बाद भी हालात नहीं बदले। पुलों के गिरने का सिलसिला यूँ ही जारी है। जो बताता है कि नियम-कानून तक पर रखकर बेखौफ घटिया सामग्री वाले सार्वजनिक निर्माण कार्य जारी हैं। जाहिर है कि ऊपर से नीचे तक की कमीशनखारी और जनता की कीमत पर मोटा मुनाफा कमाने वाले ठेकदारों की मनमानी जारी है। तभी निर्माण कार्य में घटिया उपयोग बेखौफ किया जा रहा शासन-प्रशासन का भय होता रहा धड़ाधड़ न गिर रहे होते। सवाल है कि आजादी के सात दशक देश की विकास परियोजना गुणवत्ता की निगरानी करने वाले विकसित नहीं कर पाए? यह उसका सार्वजनिक निर्माण गुणवत्ता उसका निर्माण कार्य समय पर इन योजनाओं को इस तरह निर्माण किया जाए, जिससे कई पुल उसका लाभ मिल सके। सदृश्य दुर्घटनामुक्त और जनता व बढ़ाने वाला हो। मगर विडंबन विहार के पुल उद्घाटन से धराशायी हो रहे हैं। स्पष्ट मुनाफे के लिए घटिया निर्माण उपयोग किया जा रहा है। निष्कर्ष यह है कि जिन लोगों निर्माण सामग्री की गुणवत्ता बढ़ाना होता है, वे आंखे मूँदे समाज में मूल्यों के पराभव व तत्वों की निर्माण कार्यों में गहराई ही दर्शाता है। यही वजह है कि यातायात के दबाव वाले दौरे में ही बोझ नहीं संभाल पा रहे हैं किसी हादसे की वजह से भी सकते हैं, मगर निरंतर कई पुल ही दिनों में गिरना साफ बताता में काला नहीं बल्कि पूरी दाता है। जिसमें भ्रष्टाचार की बड़ी दरअसल, सार्वजनिक निर्माण गुणवत्ता की यदि समय-समान होती रहे तो ऐसे हादसों से बचा सकता है। इन हादसों की वजह या राजनेताओं व दबावों के गरज लोगों को ठेके मिल जाते हैं, जिन्होंने निर्माण कार्यों का अनुभव न ही गुणवत्ता को लेकर किया प्रतिबद्धता होती है।

प्रह्लाद सबनानी

**वैशिवक** स्तर पर विभिन्न देशों की भिन्न भिन्न क्षेत्रों में रेटिंग तय करने की दृष्टि से वित्तीय एवं

विशिष्ट संस्थानों द्वारा सूचकांक तैयार किए जाते हैं। हाल ही के समय में इन विदेशी संस्थानों द्वारा जारी किए गए कई सूचकांकों में भारत की स्थिति को संभवत जान बूझकर गलत दर्शाया गया है। इन सूचकांकों में पाकिस्तान, अफगानिस्तान एवं अफ्रीका के गरीब देशों की स्थिति को भारत से बेहतर बताया गया है। उदाहरण के लिए अभी हाल ही में पश्चिमी देशों द्वारा जारी किए गए तीन सूचकांकों की स्थिति देखिए। सबसे पहिले उदार (लिबरल) लोकतंत्र सूचकांक में भारत की रैंकिंग को 104 बताया गया है और भारत के ऊपर निजेर देश को बताया गया है। इसी प्रकार, आनंद (हैपीनेस) सूचकांक में भी भारत का स्थान 126वां बताया गया है जबकि पाकिस्तान को 108वां स्थान मिला है, जहां अत्यधिक मुद्रा स्फीति के चलते वहां के नागरिक अत्यधिक त्रस्त हैं। एक अन्य, प्रेस की स्वतंत्रता नामक सूचकांक में भारत को 161वां स्थान मिला है जबकि इस सूचकांक में कुल मिलाकर 180 देशों को शामिल किया गया है और अफगानिस्तान को 152वां स्थान दिया गया है, अर्थात् इस सर्वे के अनुसार, अफगानिस्तान में प्रेस की स्वतंत्रता भारत की तुलना में अच्छी पाई गई है। पश्चिमी देशों में स्थिति इन संस्थानों द्वारा इस प्रकार के सूचकांक तैयार किए जाकर पूरे विश्व को भ्रमित किए जाने का प्रयास हो रहा है। इसी प्रकार, भारत में हाल ही में सम्पन्न हुए लोक सभा चुनावों पर भी पश्चिमी देशों ने कई प्रकार के सवाल खड़े करने के प्रयास किए थे। जैसे, इस भीषण गर्मी के मौसम में चुनाव कराए गए हैं, जिससे सामान्यजन वोट डालने के लिए घरों से बाहर ही नहीं निकले, ईवीएम मशीन में कोई खराबी तो नहीं है, आदि। परंतु, भारतीय मतदाताओं ने इन लोक सभा चुनावों में भारी संख्या में भाग लेकर पश्चिमी देशों को करारा जवाब दिया है। न ही, ईवीएम मशीन में किसी प्रकार की गड़बड़ी पाई गई और न ही

अर्थात्, सर्वे में शामिल किए गए 121 देशों की सूची में श्रीलंका का स्थान 64वां, म्यांमार का 71वां, बांग्लादेश का 84वां, पाकिस्तान का 99वां, एथीयोपिया का 104वां एवं भारत का 107वां स्थान बताया गया था। जबकि पूरा विश्व जानता है कि व श्रीलंका, पाकिस्तान एवं म्यांमार जैसे देशों में खाद्य पदार्थों की भारी कमी है जिसके चलते इन देशों के नागरिकों के लिए दो जून की रोटी जुटाना भी बहुत मुश्किल हो रहा है। जबकि, भारत कई देशों को आज खाद्य सामग्री उपलब्ध करा रहा है। फिर किस प्रकार उक्त सूचकांक बनाकर वैश्विक स्तर पर जारी किए जा रहे हैं। ऐसा आभास हो रहा है कि भारत की आधिक तरक्की को विश्व के कई देश अब सहन नहीं कर पा रहे हैं एवं भारत के बारे में इस प्रकार के सूचकांक जारी कर भारत की साख को वैश्विक स्तर पर प्रभावित किए जाने का प्रयास किया जा रहा है। युद्ध की विभीषिका झेल रहे एथीयोपिया में नागरिक अपनी भूख मिटाने के लिए घास जैसे भारी पदार्थों को खाकर अपना जीवन गुजारने को मजबूर हैं। इन विपरीत परिस्थितियों के बीच जीवन यापन करने वाले नागरिकों को भुखमरी के मामले में भारत के नागरिकों से बेहतर स्थिति में बताया गया है। वहीं दूसरी ओर भारत में प्रधानमंत्री ग्रीब कल्पण अन्न योजना के अंतर्गत 80 करोड़ नागरिकों को केंद्र सरकार द्वारा प्रतिमाह 5 किलो मुफ्त अनाज उपलब्ध कराया जा रहा है ताकि इन लोगों को खाने पीने सम्बंधी किसी भी प्रकार की परेशानी नहीं हो। फिर भी भारत के नागरिकों को भुखमरी सूचकांक में ईथीयोपिया के नागरिकों की तुलना में इतना नीचे बताया गया है। अब कौन इस प्रकार के सूचकांकों पर विश्वास करेगा। यह भी बताया जा रहा है कि इस सूचकांक को आंकने के लिए भारत के 140 करोड़ नागरिकों में से केवल 3000 नागरिकों को ही इस सर्वे में शामिल किया गया था। इस प्रकार सर्वे का सैम्प्ल बनाने समय भारत जैसे विश्वाल देश के लिए अपर्याप्त संख्या का उपयोग किया गया है।

କାଣ

काण

नये आपराधिक कानूनों के क्रियान्वयन में दिवकते

**तान** नया आपराधिक कानून, अथवा  
भारतीय न्याय संहिता 2023  
(बीएनएस), भारतीय नागरिक सुरक्षा  
संहिता, 2023 (बीएनएसएस) और  
भारतीय साक्ष्य अधिनियम 2023  
(बीएसए) 1 जुलाई, 2024 से लागू होने जा  
रहे हैं। भारत के मुख्य न्यायाधीश डी.वाई.  
चन्द्रचूड़ ने आपराधिक प्रक्रिया को डिजिटल  
बनाने के उद्देश्य से बनाए गए नए कानूनों की  
सराहना की है और उन्हें भारतीय न्याय  
प्रणाली के आधुनिकीकरण की दिशा में एक  
महत्वपूर्ण कदम बताया है, जबकि कानूनी  
विरादरी के एक वर्ग ने इन कानूनों के कुछ  
प्रावधानों की अनिश्चितता, अस्पष्टता और  
संवैधानिकता के बारे में गम्भीर चिंता जताई  
है। ममता बनर्जी सहित विपक्षी राजनीतिक  
दल मांग कर रहे हैं कि नये अधिनियमों को  
तब तक स्थगित रखा जाना चाहिए जब तक  
कि लोकसभा के नवनिर्वाचित सदस्य उनकी  
संस्तुति नहीं कर देते। उनका तर्क है कि ये  
कानून संसद में बिना किसी सार्थक बहस के  
जल्दबाजी में पारित कर दिए गए थे, क्योंकि

आधिकाश विपक्ष सदस्य निलाभ्बत था। नए आपराधिक कानूनों की वैधता के बारे में इतनी देरी से चिन्ता व्यक्त करना अवसरों को गंवाने के अलावा और कुछ नहीं है, ये कानून तीन साल की लम्बी परामर्श प्रक्रिया और हितधारकों के साथ व्यापक विचार-विमर्श के बाद बनाए गए थे। इसके बाद गृह मंत्रालय की संसदीय समिति द्वारा इन कानूनों की गहनता जांच की गई थी। यहां तक कि दो अलग-अलग अवसरों पर सार्वजनिक नोटिस के जरिए जनता से सुझाव भी मांगे गए थे। सरकार इनमें से किसी भी मांग के आगे नहीं झूक रही है और कानूनों को लागू करने के लिए दृढ़ संकल्पित दिख रही है। इसके अतिरिक्त, नए प्रावधानों की असंवैधानिकता के बारे में चिंताएं इस तथ्य के महेनजर सही नहीं हैं कि बीएनएस में बदलाव मुख्य रूप से नवतेज जौहर (2018), जोसफ शाइन (2018) और पी. रथनम (1994) के मामलों में सुप्रीम कोर्ट के निर्देशों का प्रतिबिम्ब है। भारतीय न्याय संहिता से राजद्रोह की धारा हटाना राजद्रोह कानून को

चुनाता दन बाल याचिका के जवाब में शा-  
अदालत में केन्द्र सरकार के हलफानामे पर  
क्रियान्वयन दर्शाता है, साथ ही इसमें लम्बा-  
समय से लम्बित राष्ट्रीय सुरक्षा के मुद्दों को भी  
सम्बोधित किया गया है। बीएनएसएस और  
बीएसए में संशोधनों पर आपत्तियां भी उचित  
प्रतीत नहीं होती क्योंकि इनके मूल रूप से  
आपराधिक कार्रवाई का डिजिटलीकरण और  
पीड़ति तथा नागरिकों की अपेक्षाओं वे  
अनुरूप प्रावधानों को शामिल करना है।  
इसके अलावा गुणवत्तापूर्ण जांच और त्वरित  
न्याय की मांग को पूरा करने के लिए  
आपराधिक प्रक्रियाओं को फिर से स्थापित  
किया गया है। विशेषज्ञों की अलग-अलग  
राय के बावजूद, नये कानूनों का क्रियान्वयन  
आसान नहीं होगा क्योंकि इसमें विभिन्न  
प्रकार के बुनियादी ढांचे का निर्माण  
हितधारकों को प्रशिक्षण प्रदान करना, नियमों  
और संचालन प्रक्रियाएं निर्धारित करना  
मानक प्रपत्रों में संशोधन करना और  
परिचालन संबंधी मुद्दों को सुलझाने के लिए  
अन्तर्र-एजेंसी समन्वय करना शामिल है।

साध्य हा एक बात जा विश्वास दिलाता है कि ये कानून समय पर लागू होंगे यह है कि एक अनुभवी और समय-परीक्षणित आपराधिक न्याय प्रणाली अस्तित्व में है जिसमें किसी भी बदलाव को अपनाने और सीमित संसाधनों के साथ किसी भी समस्या का व्यावहारिक समाधान खोजने की कुव्वत है। नये कानून तथ्य समय पर लागू होंगे, इसका एक और आश्वासन इस हकीकत से भी मिलता है कि पुलिस, अधियोजकों और न्यायिक अधिकारियों को बड़े पैमाने पर क्षमता-निर्माण प्रशिक्षण दिया गया है, जिसे केन्द्र सरकार द्वारा प्रायोजित किया गया है। हालांकि, कानून लागू करने की व्यवस्था से जुड़े कुछ अधिकारी अभी भी आशंकित हैं, उनका तर्क है कि नए कानूनों के सफल प्रवर्तन से सम्बन्धित कई महत्वपूर्ण क्षेत्रों को अभी भी सम्बोधित किया जाना बाकी है, ताकि अधिनियमों का निर्बाध प्रवर्तन सुनिश्चित किया जा सके। बीएनएसएस में कई अनिवार्य प्रक्रियाएं हैं, जिसमें तलाशियों, जब्तियों और अपराध के दृश्य की वीडियोग्राफी और केस

କୁଣ୍ଡ

अलग

## भ्रष्टाचार के पुल

**बरसात** आने से पहले ही बिहार में एक सप्ताह के भीतर एक के बाद एक तीन पुलों का गिरना सार्वजनिक निर्माण में व्यापक भ्रष्टाचार व धांधलियों को बेनकाब करता है। लगातार धड़ाधड़ गिरते पुल न केवल ठेकदारों बल्कि उन्हें संरक्षण देने वाले राजनेताओं पर भी सवालिया निशान लगाते हैं। एक सप्ताह के भीतर बिहार के मोतिहारी में रविवार को एक पुल गिरने की तीसरी घटना हुई। इससे पहले अररिया और सिवान में भ्रष्टाचार के पुल गिरे थे। पूर्वी चंपारण के मोतिहारी में डेढ़ करोड़ की लागत से बनने वाला जो पुल गिरा, उसकी एक दिन पहले ही ढलाई हुई थी। रात में पुल भरभरा कर गिर गया। यदि यह पुल यातायात खुलने के बाद गिरता तो न जाने कितनी जानें चली जाती। आरोप है कि घटिया सामग्री के कारण पुल बनने से पहले गिर गया। शनिवार को सिवान में गंडक नहर पर बना तीस फीट लंबा पुल गिर गया, जो चार दशक पहले बना था। इसी तरह मंगलवार को अररिया में बारह करोड़ की लागत से बना पुल गिर गया था। पुल के तीन पाये ध्वस्त हो गए थे। बिहार में निर्माण कार्यों में धांधलियों का आलम यह है कि पिछले पांच सालों के दौरान दस पुल निर्माण के दौरान या निर्माण कार्य पूरा होते ही ध्वस्त हो गए। उल्लेखनीय है कि बीते साल जन में भागलपुर में गंगा नदी पर करीब पाँच दो हजार करोड़ की लागत से बन रहे पुल के गिरने पर भारी शोर मचा था। लैकिन उसके बाद भी हालात नहीं बदले। पुलों के गिरने का सिलसिला यूं ही जारी है। जो बताता है कि नियम-कानून ताक पर रखकर बेखौफ घटिया सामग्री वाले सार्वजनिक निर्माण कार्य जारी हैं। जाहिर है कि ऊपर से नीचे तक की कमीशनखोरी और जनता की कीमत पर मोटा मुनाफा कमाने वाले ठेकदारों की मनमानी जारी है। तभी निर्माण कार्य में घटिया सामग्री का उपयोग बेखौफ किया जा रहा है। यदि शासन-प्रशासन का भय होता तो पुल ये धड़ाधड़ न गिर रहे होते। सवाल ये उठता है कि आजादी के सात दशक बाद भी हम देश की विकास परियोजनाओं की गुणवत्ता की निगरानी करने वाला तंत्र क्यों विकसित नहीं कर पाए? यह जरूरी है कि सार्वजनिक निर्माण गुणवत्ता का हो और उसका निर्माण कार्य समय पर पूरा हो इन योजनाओं को इस तरह डिजाइन किया जाए, जिससे कई पीढ़ियों को उसका लाभ मिल सके। साथ ही वह दुर्घटनामुक्त और जनता की सुविधा बढ़ाने वाला हो। मगर विडंबना देखिए कि बिहार के पुल उदघाटन से पहले ही धराशायी हो रहे हैं। स्पष्ट है कि मोटे मुनाफे के लिए घटिया निर्माण सामग्री का उपयोग किया जा रहा है। वहीं दूसरा निष्कर्ष यह है कि जिन लोगों का काम निर्माण सामग्री की गुणवत्ता की निगरानी करना होता है, वे आंखें मूँदे बैठे हैं। जेस समाज में मूल्यों के पराभव व आपराधिक तत्वों की निर्माण कार्यों में गहरी दखल को ही दर्शाता है। यही बजह है कि भारी यातायात के दबाव वाले दौर में पुल अपनाने ही बोझ नहीं संभाल पा रहे हैं। यूं तो कभी किसी हादसे की बजह से भी पुल गिर सकते हैं, मगर निरंतर कई पुलों का कुछ ही दिनों में गिरना साफ बताता है कि दाल में काला नहीं बल्कि पूरी दाल ही काली है। जिसमें भ्रष्टाचार की बड़ी भूमिका है दरअसल, सार्वजनिक निर्माण की गुणवत्ता की यदि समय-समय पर जांच होती रहे तो ऐसे हादसों से बचा जा सकता था। इन हादसों की बजह यह भी है कि राजनेताओं व दबंगों के गठजोड़ से ऐसे लोगों को ठेके मिल जाते हैं, जिनको न तो बड़े निर्माण कार्यों का अनुभव होता है और न ही गुणवत्ता को लेकर किसी तरह की प्रतिबद्धता होती है।

६  
नौ साल पहले राष्ट्रीय हरित प्राधिकरण अर्थात् एनजीटी ने एक आदेश दिया था कि नदी का जहां तक बहाव है, उसका सीमांकन किया जाए। हालांकि, यमुना द्वारा गर्भी में छोड़ी गई जमीन पर कब्जा करने में न सरकारी महकमे पीछे रहे और न ही भूमाफिया। इसके बाबत एक कमेटी भी बनी थी जिसे मौके पर जाकर उस स्थान तक चिह्नित करना था, जहां अपने सम्पूर्ण यौवन पर आने के दौरान नदी का अधिकतम विस्तार होता है कभी किसी ने नहीं जाना कि सावन-भादों में जब नदी उफान पर होती है तो उसे तसल्ली से बहने के लिए कितनी भूमि चाहिए।

**दिल्ली** में यमुना नदी को नया जीवन देने के लिए नौ साल पहले राष्ट्रीय हरित प्राधिकारिक

वन देने के लिए जाता  
रेत प्राधिकरण और

आप का नज़ारा

ପାଠ ଲିଖନ

## ਅਥ ਪਲ਼ਾ-ਵਪਲ਼ਾ ਮਿਲਕਰ ਚਲਾਏਂ ਸਰਕਾਰ

**दर्शन** में लब चल चुनाव आभान आर चुनाव पारणाम के बाद अस्तित्व में आयी 18वीं लोकसभा के पहले सत्र की शुरूआत हो चुकी है। राजग की लगातार तीसरी पारी गठबंधन सरकार के रूप में सामने आई है। निश्चित रूप से इस बार विपक्षी गठबंधन पिछले दशक के मुकाबले ज्यादा मजबूत बनकर उभरा है। लेकिन लोकसभा अध्यक्ष के चुनाव से ठीक पहले राहुल गांधी का विपक्ष का नेता चुना जाना साफ बताता है कि आने वाले दिनों में राजग सरकार की राह आसान नहीं रहने वाली। इस संक्षिप्त सत्र के दूसरे दिन लोकसभा अध्यक्ष के चुनाव को लेकर सत्ता-पक्ष व विपक्ष के बीच जो तनाती सामने आई, वह पिछले सात दशकों के मुकाबले अभूतपूर्व है। विपक्ष एक ओर लोकसभा उपाध्यक्ष पद देने की मांग कर रहा था, तो सत्ता पक्ष ऐसा करने को तैयार नहीं था। जाहिर इस टकराव के बीच लोकसभा अध्यक्ष पद के लिए चुनाव कराने की स्थितियां बनी हैं। हालांकि, राजग सरकार के पास चुनाव पूर्व गठबंधन के चलते पूर्ण बहुमत है, लेकिन विपक्ष इस चुनाव को अपनी एकजुटता के रूप में एक प्रतीकात्मक दबाव के रूप में दिखाना चाहेगा। बहरहाल, बेहतर होता कि लोकसभा में अध्यक्ष व उपाध्यक्ष पदों पर चयन सत्ता पक्ष व विपक्ष के बीच सहमति से होता। इसी तरह नवनिर्वाचित लोकसभा सदस्यों को शपथ दिलाने के लिये नियुक्त प्रोटेम स्पीकर की नियुक्ति को लेकर भी सत्ता पक्ष व विपक्ष में तनाती देखी गई। वरिष्ठता के क्रम में इंडिया गठबंधन की ओर से कांग्रेस की दावेदारी की गई थी। बहरहाल, 18वीं लोकसभा की शुरूआत में ही पक्ष-विपक्ष के बीच तनाती की शुरूआत स्वस्थ लोकतंत्र के लिये अच्छा संकेत तो कदापि नहीं है। यह तथ्य किसी से छिपा नहीं है कि 17वीं लोकसभा के दौरान टकराव के चलते तमाम सत्रों में कामकाज बुरी तरह प्रभावित रहा। उल्लेखनीय है कि दिसंबर, 2023 में शीतकालीन सत्र के दौरान लोकसभा में घुसपैठ के मामले में बहस की मांग पर कथित दुर्व्यवहार हेतु 141 विपक्षी सांसदों को निलंबित किया गया था। जिसमें 95 लोकसभा सदस्य थे। उम्मीद की जानी चाहिए 18वीं लोकसभा में वैसे दृश्य फिर न देखने को मिलें। जनता अपने प्रतिनिधियों को इस लिये चुनकर संसद में भेजती है ताकि वे उनके इलाके के विकास को नई दिशा दे सकें। लेकिन पहले दिन विपक्षी नेताओं द्वारा संसद में संविधान की प्रतियों के साथ एकजुटता दर्शाना और कतिपय सत्तारूढ़ दल के सांसदों के शपथ ग्रहण के दौरान नारेबाजी को देखकर लगता है कि विपक्ष ज्यादा मुखर होकर सरकार के लिये चुनौती पेश करता रहेगा। बहरहाल, किसी भी लोकतंत्र की खूबसूरती इस बात में है कि सरकार सहमति से चले। साथ ही विपक्ष भी जिम्मेदार भूमिका में नजर आए। कुल मिलाकर होंगे, बहुष्कार व नारेबाजी के बजाय रचनात्मक व गरिमामय भूमिका की दरकार है। स्वस्थ लोकतंत्र की दरकार है सरकार के निर्णयों में हर छोटे-बड़े राजनीतिक दल की भागीदारी हो।







# डिप्रेशन से झटके

जिंदगी हमें तरह-तरह के रंग दिखाती है। इसमें हमें कभी खुशियों की सोगात मिलती है, तो कभी दुख का अहसास भी होता है। कई बार हमारे जीवन का दुख काफी लंबा हो जाता है जो, डिप्रेशन यानी अवसाद का कारण बन सकता है। यह जीवन पर पड़ने वाला ऐसा काला साया है,

जिससे जीवन के प्रति रुचि खत्म होने लगती है और दिन-प्रतिदिन के कामकाज से भी मन उत्थापित जाता है, लेकिन अब इस मनोरोग से छुटकारा सभव है... डिप्रेशन के कई कारण हो सकते हैं। किसी व्यक्ति के निजी जीवन से जुड़ी कई बातें भी डिप्रेशन के लिए जिम्मेदार होती हैं। जैसे हमारे जीवन में आने वाले महत्वपूर्ण पड़ाव जिसमें किसी प्रियजन का बिछड़ना, नौकरी का छूट जाना, विवाह संबंधों में टूटन, शिक्षा के क्षेत्र में असफलता और इस तरह की अन्य समस्याएं अवसाद का कारण बनती हैं। इसके अलावा जीवन के प्रति नकारात्मक सोच रखने वाले लोग अवसाद या डिप्रेशन से कहीं ज्यादा ग्रस्त होते हैं। जैसे वे सोचते हैं कि मैं सफल नहीं होऊंगा, इसलिए यह कार्य नहीं कर सकता या फिर कई लोगों के मन में हमेशा कुछ न कुछ अनहोनी का डर बना रहता है जिससे उनके अवसाद में जाने का खतरा बना रहता है। कुछ समस्याएं ऐसी हैं, जिनके कारण व्यक्ति अवसाद में जा सकता है। जैसे थायराइड से संबंधित बीमारियां, विटामिन डी की कमी और पारिवारिक, सामाजिक और आर्थिक समस्याएं आदि। कुछ दवाओं के साइड इफेक्ट्स के कारण भी व्यक्ति डिप्रेशन की स्थिति में पहुंच सकता है।



## उदासी या एकाकीपन

अगर व्यक्ति डिप्रेशन या अवसाद से ग्रस्त है, तो उसका किसी काम या विषय में मन नहीं लगता। हालांकि सामान्य उदासी अवसादग्रस्त उदासी से बिल्कुल भिन्न है। अवसादग्रस्त व्यक्ति को विभिन्न वस्तुओं या विषयों से रुचि खो जाती है, उसे खुशी या गम का अहसास नहीं होता। वह अपनी ही दुनिया में खोया रहती है।

नकारात्मक रखता है। किसी भी तरह की सकारात्मक सोच पर ये लोग ध्यान नहीं देते। ऐसे व्यक्ति पर नकारात्मक सोच हावी रहती है।

## शारीरिक अस्थिरता

अगर व्यक्ति अवसादग्रस्त है, तो उसे या तो अत्यधिक नींद आती है या फिर नींद कम आती है। कई बार अपीली रुचि को ही नींद खुला होती है। अवसादग्रस्त व्यक्ति को भूख कम सभव है और उसका स्वभाव विडियो हो जाता है। अवसाद के विभिन्न स्तर हैं, जो इस प्रकार हैं— मेजर, क्रान्तिक, मैनिएक और अन्य प्रकार के अवसाद।

## मेजर डिप्रेशन

एक गंभीर समस्या डिप्रेशन का सबसे सामान्य रूप है— मेजर डिप्रेशन। इसके कुछ लक्षण इस प्रकार हैं...

- पीड़ियां व्यक्ति के अत्यधिक दुख, हताशा, ऊर्जा की कमी और चिड़ीचाप के महसूस तथा भूख।
- किसी काम में ध्यान न लगना। नींद और खाने की आदतों में परिवर्तन।

■ शारीरिक दर्द और आमतंत्र्या जैसे विचारों का अहसास।

इलाजः मेजर डिप्रेशन से पीड़ियां व्यक्ति कम से कम दो हप्ते से ज्यादा समय तक और उपर्युक्त लक्षणों से ग्रस्त हैं, तो उसके परिजनों को मनोचिकित्सक से परामर्श लेना चाहिए। अच्छी बात यह है कि मेजर डिप्रेशन की चेपेट में आने वाले 80 से 90 प्रतिशत व्यक्ति उचित इलाज



से लीक हो जाते हैं। इलाज के अंतर्गत दवाएं और मरीज के साथ ही उसके परिजनों की काउंसलिंग की जाती है। इसके अलावा पीड़ियां व्यक्ति को कॉरिन्टिक विलेवियर थेरेपी (मरीज के सोचने के ढंग को बदलने के लिए प्रेरित करना) भी दी जाती है।

## बाइपोलर डिसऑर्डर

बाइपोलर डिसऑर्डर को मैनिएक डिप्रेशन भी कहा जाता है, जो मानसिक चंचलता और मानसिक विकल्पों का कारण बनता है। जब व्यक्ति अवसादग्रस्त होता है, तब वह दुखी या है और महसूस करता है और किसी भी विकल्पात्मक प्रकार के प्रति दिलचस्पी खो देता है, लेकिन जब उसका मूड दूसरी दिश में शिक्षित होता है, तब वह ऊर्जा से भरपूर और उत्साहमय नज़र आता है। मूड का इस तरह बदलना जीवन में कई बार ही सकता है। कुछ लोगों में खो जाएंगी पांच घंटे रुप ले लेती है। इलाजः विशेषज्ञ की सलाह के द्वारा इंटीमेंट देवेलपर के बाद लाम्पोलर डिसऑर्डर को दवाओं और काउंसलिंग के जरिए प्रभावित किया जाता है।

इलाजः मेजर डिप्रेशन से पीड़ियां व्यक्ति कम से कम दो हप्ते से ज्यादा समय तक और उपर्युक्त लक्षणों से ग्रस्त हैं, तो उसके परिजनों को मनोचिकित्सक से परामर्श लेना चाहिए। अच्छी बात यह है कि मेजर डिप्रेशन की चेपेट में आने वाले 80 से 90 प्रतिशत व्यक्ति उचित इलाज

के अनचाहे बाल खूबसूरती में दाग की तरह होते हैं, इनके कारण आपको परेशानी हो सकती है। चेहरे के इन बालों को हटाने के लिए आप कई कोशिशें कर सकते हैं।

## वैकिसिंग के जरिए

यह चेहरे के अनचाहे बालों को हटाने का बहुत ही आसान तरीका है, इसका प्रयोग आसानी से किया जा सकता है। वैकिसिंग के द्वारा चेहरे के किसी भी विस्तर से मौजूद बालों की हटाया जा सकता है। इससे अनचाहे बाल पूरी तरह साफ हो जाते हैं और आपके चेहरे की त्वचा मुश्किलात के प्रति दिलचस्पी खो देता है, लेकिन जब उसका मूड दूसरी दिश में शिक्षित होता है, तब वह ऊर्जा से भरपूर और उत्साहमय नज़र आता है। मूड का इस तरह बदलना जीवन में कई बार ही सकता है। इलाजः विशेषज्ञ की सलाह के द्वारा इंटीमेंट देवेलपर के बाद लाम्पोलर डिसऑर्डर को दवाओं और काउंसलिंग के जरिए प्रभावित किया जाता है।

## ब्लीचिंग के द्वारा

अगर आपके चेहरे और कानपटियों के आसापास हल्के-हल्के रोश दिखाई देते हैं तो उन्हें डिप्रेशन के लिए ब्लीचिंग कर सकती है। लेकिन ब्लीचिंग करने से पहले अपनी त्वचा के प्रकार को ध्यान में रखें, यह भी देख लीजिए कि क्या यह आपकी त्वचा को सूट भी कर रहा है या नहीं। इसपे तैयार की हुई ब्लीचिंग को आपनी हथियां पर लाकर देखिए, इसके बाद ही इसका प्रयोग करें। ब्लीचिंग करने से पहले एक बात और ध्यान रखें यह रोश दृष्टिकोण से खाली नहीं आती, क्योंकि यह चेहरे की त्वचा के अंदर जड़ों से बालों को निकालता है।

## थेंडिंग और ट्रीटीजिंग

चेहरे के अनचाहे बालों को हटाने के लिए थेंडिंग और ट्रीटीजिंग की आसापास हल्के-

हल्के-हल्के रोश दिखाई देते हैं तो उन्हें डिप्रेशन के लिए ब्लीचिंग करने से पहले अपनी त्वचा के प्रकार को ध्यान में रखें, यह भी देख लीजिए कि क्या यह आपकी त्वचा को सूट भी कर रहा है या नहीं। इसपे तैयार की हुई ब्लीचिंग को आपनी हथियां पर लाकर देखिए, इसके बाद ही इसका प्रयोग करें। आपके चेहरे की त्वचा के अंदर जड़ों से बालों को निकालता है। इससे अनचाहे बालों को बढ़ने से रोकती है। आइज्बो को सही



अनचाहे बालों को बढ़ने से रोकती है। आइज्बो को सही

उपचार के अनचाहे बालों को बढ़ने से रोकती है। आइज्बो को सही

उपचार के अनचाहे बालों को बढ़ने से रोकती है। आइज्बो को सही

उपचार के अनचाहे बालों को बढ़ने से रोकती है। आइज्बो को सही

उपचार के अनचाहे बालों को बढ़ने से रोकती है। आइज्बो को सही

उपचार के अनचाहे बालों को बढ़ने से रोकती है। आइज्बो को सही

उपचार के अनचाहे बालों को बढ़ने से रोकती है। आइज्बो को सही

उपचार के अनचाहे बालों को बढ़ने से रोकती है। आइज्बो को सही

उपचार के अनचाहे बालों को बढ़ने से रोकती है। आइज्बो को सही

उपचार के अनचाहे बालों को बढ़ने से रोकती है। आइज्बो को सही

उपचार के अनचाहे बालों को बढ़ने से रोकती है। आइज्बो को सही

उपचार के अनचाहे बालों को बढ़ने से रोकती है। आइज्बो को सही

उपचार के अनचाहे बालों को बढ़ने से रोकती है। आइज्बो को सही

उपचार के अनचाहे बालों को बढ़ने से रोकती है। आइज्बो को सही

उपचार के अनचाहे बालों को बढ़ने से रोकती है। आइज्बो को सही

उपचार के अनचाहे बालों को बढ़ने से रोकती है। आइज्बो को सही

उपचार के अनचाहे बालों को बढ़ने से रोकती है। आइज्बो को सही

उपचार के अनचाहे बालों को बढ़ने से रोकती है। आइज्बो को सही

उपचार के अनचाहे बालों को बढ़ने से रोकती है। आइज्बो को सही

उपचार के अनचाहे बालों को बढ